न्यायालय सत्र न्यायाधीश, चन्दौली।
प्रकीर्ण वाद संख्या– 32/2023
सियाराम सिंह बनाम राज्य वगैरह

14–05–2026

पुकार कराई गई। प्रार्थी सियाराम सिंह मय अधिवक्ता तथा विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) न्यायालय में उपस्थित हैं। विपक्षीगण 2 ता 5 व उनके अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं हैं जबकि पत्रावली से यह स्पष्ट है कि उक्त विपक्षीगण 2 ता 5 इस पत्रावली में उपस्थित आ चुके हैं और उनकी ओर से अधिवक्ता श्री गुलाब चन्द्र श्रीवास्तव व श्री राजकिशोर सिंह का वकालतनामा 15ख पत्रावली पर दाखिल है और उक्त विपक्षीगण की ओर से दो बार आपत्तिपत्र दाखिल करने हेतु स्थगन प्रार्थनापत्र 16ख दिनांक 11–08–2023 को व दूसरा स्थगन प्रार्थनापत्र दिनांक 18–10–2023 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था जो स्वीकृत हुआ था परन्तु आज तक उक्त विपक्षीगण 2 ता 5 की ओर से प्रार्थनापत्र 5ख पर कोई आपत्तिपत्र दाखिल नहीं किया गया। अतः विपक्षीगण 2 ता 5 का प्रार्थनापत्र 5ख पर आपत्तिपत्र दाखिल करने का अवसर समाप्त किया जाता है।

पत्रावली से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी सियाराम की ओर से दिनांक 24–02–2023 को एक प्रार्थनापत्र 5ख अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथपत्र 6ख/1 ता 6ख/2 इस आशय का प्रस्तुत किया गया था कि उसके द्वारा यह फौजदारी अपील मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्दौली द्वारा दाण्डिक वाद संख्या 370/2004 सरकार बनाम रामदास आदि मु.अ.सं. 46/2004 धारा 323, 325, 504 भा.दं.सं. थाना चन्दौली जनपद चन्दौली में पारित निर्णय दिनांकित 06–12–2022 के विरूद्ध दाखिल किया गया है। अवर न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय की जानकारी उसको गांव के ही व्यक्तियों द्वारा आपस में चर्चा के दौरान दिनांक 30–01–2023 को हुई तो दूसरे दिन कचहरी आकर अपने जाने–पहचाने अधिवक्ता से सम्पर्क करके पत्रावली का निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने को कहा जिसपर अधिवक्ता ने प्रयास करके पत्रावली का पता लगाया तो कार्यवाही मुकदमा की जानकारी हुई। अधिवक्ता के निर्देश पर आवश्यक नकलें प्राप्त करने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया और नकल मिलने के उपरान्त विधिक राय के आधार पर अपील दाखिल की गयी है। प्रश्नगत फौजदारी अपील दाखिल करने में उसने जान बूझकर कोई गलती या विलम्ब नहीं किया है बल्कि जानकारी के तुरन्त पश्चात समय सीमा के अन्तर्गत उसके द्वारा फौजदारी अपील प्रस्तुत की गयी है लेकिन फिर भी यदि किन्ही कारणवश न्यायालय की राय में अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब पाया जाय तो ऐसे विलम्ब को धारा 5 मियाद अधिनियम का लाभ प्रदान करते हुए क्षमा किया जाय।

प्रार्थी सियाराम सिंह की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र 5ख पर विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा लिखित आपत्तिपत्र दाखिल करने से इंकार करते हुए प्रार्थनापत्र 5ख का मौखिक एवं कड़ा विरोध किया गया। उपरोक्तानुसारा विपक्षीगण 2 ता 5 की ओर से उक्त प्रार्थनापत्र 5ख पर कोई लिखित आपत्तिपत्र अभी तक दाखिल नहीं किया गया है और आज विपक्षीगण 2 ता 5 की ओर से कोई न्यायालय में उपस्थित भी नहीं है और उक्त परिस्थिति में विपक्षीगण 2 ता 5 का आपत्तिपत्र दाखिल करने का अवसर भी आज समाप्त कर दिया गया है, अतः मैने प्रार्थनापत्र 5ख व शपथपत्र 6ख/1 ता 6ख/2 पर अपीलार्थी सियाराम

Digitally signed by DIWAKAR PRASAD CHATURVEDI
Date: 2026.05.15 19:36:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

सिंह के विद्वान अधिवक्ता व विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की बहस सुना व पत्रावली का विस्तारपूर्वक अवलोकन किया।

उपरोक्तानुसार प्रार्थी सियाराम सिंह की ओर से दाखिल उक्त शपथपत्र 6ख/1 ता 6ख/2 में यह अभिकथित है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय दिनांकित 06–12–2022 की जानकारी उसे नहीं थी और उसे गांव के ही व्यक्तियों द्वारा आपस में चर्चा के दौरान दिनांक 30–01–2023 के उक्त निर्णय की जानकारी हुई। वह दूसरे दिन कचहरी आकर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया और पत्रावली का निरीक्षण कराया तो मुकदमा की कार्यवाही की जानकारी हुई और अधिवक्ता के निर्देश पर उसके द्वारा नकलें प्राप्त करने हेतु प्रार्थनापत्र दिया गया और नकल मिलने के पश्चात विधिक राय के आधार पर यह अपील दाखिल की गयी है। पत्रावली से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी सियाराम की ओर से प्रश्नगत आपराधिक अपील याचिका दाखिल करने में 50 दिन का विलम्ब हुआ है जो बहुत अधिक अवधि नहीं है। पुनः विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि मामले का निस्तारण गुण–दोष के आधार पर किया जाना अधिक न्यायसंगत होता है और न्यायालयों को धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थनापत्रों के निस्तारण में अत्यधिक तकनीकि दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिये। उपरोक्तानुसार विपक्षीगण 2 ता 5 इस पत्रावली में हाजिर आने के बावजूद उक्त प्रार्थनपत्र 5ख पर अभी तक कोई आपत्ति दाखिल भी नहीं किये और उपरोक्तानुसार उनका प्रार्थनापत्र 5ख पर आपत्तिपत्र दाखिल करने का अवसर भी आज समाप्त कर दिया गया है और आज विपक्षीगण 2 ता 5 व उनके अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थिति भी नहीं हैं, अतः न्यायहित में प्रार्थनापत्र 5ख हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थनापत्र 5ख अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम मु. 700/–रू. हर्जे पर स्वीकार किया जाता है तथा प्रश्नगत फौजदारी अपील दाखिल करने में जो 50 दिन का विलम्ब हुआ है उसे धारा 5 मियाद अधिनियम का लाभ प्रदान करते हुए माफ किया जाता है। प्रार्थी सियाराम सिंह हर्जे की उक्त धनराशि दिनांक 27–05–2026 तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चन्दौली के कार्यालय में जमा करके उसी रसीद इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे।

सेशन जज,
चन्दौली।